"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 136] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल 2006—वैशाख 8, शक 1928

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-5-20/2006.—राज्य शासन एतद्द्वारा प्रदेश में महाविद्यालयों में बी एड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार** - इन नियमों का नाम छत्तीसगढ़ बी एड प्रवेश नियम, 2006 होगा। यह सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय एवं निजी बी एड पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों पर लागू होंगे। यह तत्काल प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अभिप्रेत न हो -
   (क)"राज्य शासन" से तात्पर्य है, छत्तीसगढ शासन,
   (ख)"श्रेणी" से तात्पर्य है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोडकर),
   (ग)"संवर्ग" से तात्पर्य है, महिला, नि:शक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तथा भूतपूर्व सैनिक,
   (घ)"प्री बी एड परीक्षा" से तात्पर्य है, बी एड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा,
   (ङ) "संचालक" से तात्पर्य है, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,
   (च)"अनुदान प्राप्त महाविद्यालय" से तात्पर्य है, ऐसा महाविद्यालय जिसने कभी भी राज्य शासन से किसी भी प्रकार का अनुदान, अथवा चल-अचल संपत्ति की कोई भी सहायता प्राप्त की हो, और "गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालय" का तात्पर्य भी इसी के अनुसार निकाला जाएगा,
3. बी एड पाठ्यक्रम में प्रवेश -
   (क)प्री बी एड परीक्षा - बी एड के पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री बी एड परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर की गई काउन्सलिंग के माध्यम से ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं।
   (ख)मूल निवासी - राज्य के शासकीय तथा शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में बी एड पाठ्यक्रम की समस्त सीटों पर, तथा निजी गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में 80 प्रतिशत सीटों पर केवल छत्तीसगढ के मूल निवासियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। निजी गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की 20 प्रतिशत सीटों पर छत्तीसगढ के मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ के मूल निवासी की परिभाषा छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।
   (ग)न्यूनतम आयु - किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसने प्री बी एड परीक्षा के वर्ष की 31 दिसंबर अथवा उसके पूर्व की तिथि में 20 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो।
4. प्री बी एड परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हताएं - बी एड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नित्नलिखित अर्हताएं होंगी -
   (क)भारत का नागरिक हो।
   (ख)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त हो। ऐसे अभ्यर्थियों को जो त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि के अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठे हैं, प्री बी एड परीक्षा में प्रोवीजनल प्रवेश दिया जाएगा, परंतु उन्हें काउन्सलिंग के समय त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। काउन्सलिंग के समय ऐसा प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्री बी एड परीक्षा की प्रावीण्य सूची में होने पर भी उन्हें बी एड पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

5. **बी एड पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण** - बी एड पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों में वर्टिकल तथा क्षैतिज दोनो प्रकार का आरक्षण होगा। वर्टिकल आरक्षण के लिए श्रेणियां होंगी, तथा क्षैतिज आरक्षण के लिए संवर्ग होंगे।

(क) वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी - वर्टिकल आरक्षण निम्नानुसार होगा -

(एक) अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत।

(दो) अनुसूचित जनजाति के लिए 21 प्रतिशत।

(तीन) अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोडकर) के लिए 14 प्रतिशत

स्पष्टीकरण - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोडकर) श्रेणियों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन श्रेणियों के जाति प्रमाण के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) क्षैतिज आरक्षण अथवा संवर्ग - क्षैतिज आरक्षण का तात्पर्य है कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों की सीटों पर समान रूप से होगा। क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा -

(एक) नि:शक्त संवर्ग के लिए 6 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप नि:शक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(दो) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सवर्ग श्रेणी के लिए 3 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनका पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(तीन) भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(चार) मिहला संवर्ग के लिए 30 प्रतिशत।

6. **प्री बी एड परीक्षा** -

(क) प्रतिवर्ष बी एड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक प्री बी एड परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(ख) राज्य शासन आदेश द्वारा प्री बी एड परीक्षा आयोजित करने की एजेंसी नियुक्त करेगा। राज्य शासन किसी भी समय इस हेतु किए गए आदेश द्वारा उजेंसी बदल सकेगा।

(ग) प्री बी एड परीक्षा में एक ही प्रश्नपत्र होगा। अंको का विभाजन निम्नानुसार होगा-

(एक) सामान्य मानसिक योग्यता - 30 प्रतिशत

(दो) सामान्य ज्ञान - 20 प्रतिशत

(तीन) शिक्षण अभिरुचि - 30 प्रतिशत

(चार) सामान्य हिंदी - 10 प्रतिशत

(पाँच) सामान्य अंग्रजी - 10 प्रतिशत

(घ) केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।

(ङ) निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

(च) प्री बी एड परीक्षा में पुर्नमूल्यांकन तथा अंको की पुर्नगणना नहीं की जाएगी।

7. <u>प्रावीण्य सूची</u> - प्री बी एड परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा लेने वाली एजेंसी द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोडकर) श्रेणी, तथा अनारक्षित श्रेणी की प्रथक-प्रथक प्रावीण्य सूचियां तैयार की जायेंगी। अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, तथा सामान्य, सभी जातियों को शामिल किया जाएगा। प्रावीण्य सूचियां छत्तीसगढ के मूल निवासियों तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए प्रथक-प्रथक बनाई जायेंगी। प्रावीण्य सूची में अभ्यर्थी का वर्ग भी अंकित की जाएगी। समान प्राप्तांक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रावीण्यता क्रम में ऊपर रखा जाएगा।

8. <u>काउन्सलिंग</u> -

(क) प्रावीण्य सूची के प्रकाशन के पश्चात् संस्थाओं में प्रवेश देने के लिए काउन्सलिंग की जाएगी।

(ख) काउन्सलिंग संचालक राज्य द्वारा की जाएगी। काउन्सिलंग के समय प्रदेश में बी एड पाठ्यक्रम संचालित करने वाली सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

(ग) संचालक प्रावीण्य सूची में शामिल अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर काउन्सलिंग के लिए आमंत्रित करेंगे।

(घ) काउन्सलिंग के लिए उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा कक्ष में बैठाया जाएगा, जहां उनके मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। केवल मूल प्रमाण पत्रों की जांच में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को ही काउन्सलिंग में भाग लेने की अनुमति होगी।

(ङ) अभ्यर्थियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रतीक्षा कक्ष/ जांच कक्ष/ काउन्सलिंग कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(च) संचालक के आदेशों का सभी अभ्यर्थियों को पालन करना होगा, अन्यथा उन्हें काउन्सलिंग के अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

(छ) काउन्सलिंग के लिए काउन्सलिंग कक्ष में अभ्यर्थियों को प्रवीण्यता के क्रम से प्रवेश दिया जाएगा।

(ज) काउन्सलिंग के समय अभ्यर्थी को उपलब्ध महाविद्यालय, तथा उपलब्ध सीटों के प्रकार की जानकारी दी जाएगी। अभ्यर्थी को मात्र एक महाविद्यालय में मात्र एक सीट चयन करने का अधिकार होगा। अभ्यर्थी को अपना चयन काउन्सलिंग के लिए निर्धारित प्रपत्र में लिखकर देना होगा। एकबार सीट चयन कर लेने के बाद अभ्यर्थी को अपना चयन बदलने की अनुमति नहीं होगी।

(झ) अभ्यर्थी के द्वारा चयनित सीट पर उसे तत्काल प्रवेश दिया जायेगा, और उसके मूल प्रमाणपत्र जमा करा लिए जाएंगे। अभ्यर्थी को संबंधित महाविद्यालय में फीस जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। समय पर फीस जमा न करने की स्थिति में प्रवेश स्यमेव निरस्त माना जाएगा, और वह सीट प्रावीण्य सूची में अगले क्रम के अभ्यर्थी को दी जा सकेगी।

(ञ) काउन्सलिंग निम्नलिखित क्रम से की जाएगी - पहले छत्तीसगढ के मूल निवासियों के लिए काउन्सलिंग की जाऐगी। इसमें केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिनके नाम छत्तीसगढ के मूल निवासियों की प्रावीण्य सूची में हैं। छत्तीसगढ के मूल निवासियों की काउन्सलिंग पूरी होने के पश्चात् अन्य अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग की जाऐगी। काउन्सलिंग के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित क्रम से काउन्सलिंग के लिए बुलाया जाएगा -

(एक) अनारक्षित श्रेणी

(दो) अनुसूचित जनजाति श्रेणी

(तीन) अनुसूचित जाति श्रेणी

(चार) अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोडकर) श्रेणी

(ट) किसी भी आरक्षित रेणी के अभ्यर्थी को जिसका नाम अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में भी हो, काउन्सलिंग के समय उपलब्ध अपनी श्रेणी के लिए आरक्षित सीट अथवा उपलब्ध अनारक्षित सीट में से कोई एक सीट चुनने का विकल्प होगा। चयनित विकल्प अंतिम होगा, और किसी भी परिस्थिति में उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(ठ) काउन्सलिंग के संबंध में किसी भी विवाद में संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

9. <u>आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश</u> - आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के दशा में इन संवर्गों के लिए आरक्षित सीटों को उसी श्रेणी की अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

10. <u>आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश</u> - किसी भी आरक्षित श्रेणी में पर्यापत अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा -

(क) अनुसूचित जाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

-

(ख) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

(ग) अनुसूचित जाति श्रेणी एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी दोनो के ही पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के दशा में इन श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटें अन्य पिछड वर्ग (क्रीमी लेयर को छोडकर) श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

(घ) अनय पिछडा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोडकर) श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलबध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से और इसके बाद भी सीटें रिक्त रहने पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

(ङ) सभी अरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में ही आरक्षित सीटें अनारक्षित की जायेंगी।

11. <u>छत्तीसगढ के मूल निवासी अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश</u> - इन नियमों में जो सीटें छत्तीसगढ के मूल निवासियों से ही भरी जाना अनिवार्य हैं, उन सीटों के लिए पर्याप्त संख्या में छत्तीसगढ के मूल निवासी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में यह सीटें भी अन्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकेंगी।

12. <u>प्रवेश का निरस्तीकरण</u> - यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के महाविद्यालय में प्रवेश पाने के पीछे किसी झूठी या गलत सूचना का आधार था अथवा उसने कोई प्रासंगित तथ्य छुपाया था, अथवा प्रवेश के बाद की अवधि में यह पता चलता है कि उसे किसी त्रुटि अथवा चूक के कारण प्रवेश मिल गया था तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्यन की अवधि में बिना किसी पूर्वसूचना के संस्था प्रमुख द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। प्रवेश को लिकर किसी भी विवाद अथवा संदेह की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

13. <u>महाविद्यालय की फीस</u> - सभी महाविद्यालयों को इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए अपनी फीस निर्धारित करने का अधिकार होगा।

परंतु यह कि महाविद्यालय अपनी फीस इस प्रकार निर्धारित करेंगे, कि फीस अत्यधिक लाभ कमाने का जरिया न बन जाए। फीस का निर्धारण महाविद्यालयों को अपनी अधोसंरचनाओं एवं मानव संसाधनों पर किए जाने वाले व्यय के अनुरूप करना होगा, तथा वे इसकी एक लेखा परीक्षित विवरणी राज्य शासन को सौंपेंगे, तथा सार्वजनिक रूप से आम जनता की सूचना के लिए प्रदेश के कम से कम दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करेंगे।

परंतु यह भी कि महाविद्यालयों को प्री-बी एड परीक्षा का प्रास्पेक्टस छपने के पूर्व अपनी फीस प्री-बी एड परीक्षा एजेंसी तथा राज्य शासन को लिखित में सूचित करनी होगी, ताकि फीस की जानकारी प्रास्पेकटस में छापी जा सके।

परंतु यह भी कि एक बार किसी अभ्यर्थी को प्रवेश देने के पश्चात् उस अभ्यर्थी के लिए फीस बढाई नहीं जा सकेगी।

14. नियमों की व्याख्या - प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय करने के लिए राज्य शासन अंतिम रूप से प्राधिकारी होगा। यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

Raipur, the 20th April 2006

NOTIFICATION

No. F 5-5/20/2006.— State Government hereby makes the following rules for admission to the B. Ed. course in colleges in the State, namely :—

1. **Short name, commencement and extent** - These rules shall be called Chhattisgarh B.Ed. Pravesh rules 2006. They shall extend to all the Government and Private colleges of Chhattisgarh which run B.Ed. course. They will come into force immediately.
2. **Definitions** - In these rules unless the context otherwise requires, -
   (a) "State Government" means, Government of Chhattisgarh,
   (b) "Category" means, Unreserved, Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Class (excluding creamy layer),
   (c) "Class" means, Women, Disabled, Freedom Fighter, and Ex-Army,
   (d) "Pre-B.Ed. Examination" means, the competitive examination organized for admission to B.Ed. course,
   (e) "Director" means, Director State Council for Education Research and Training,
   (f) "Government Aided College" means, a college which has at any tine received any grant-in-aid, or any help in the nature of moveable or immoveable property from the State Government, and the term unaided college shall be construed accordingly.
3. **Admission to B.Ed. Course** -
   (a) Pre-B.Ed. Examination - Admission to B.Ed. course will be given only through of counseling conducted on the basis of the merit list of Pre-B.Ed. Examination, and not otherwise.
   (b) Bona-fide Resident - Only Bona-fide residents of Chhattisgarh will be given admission on all the seats of B.Ed. course in Government and Government aided colleges in the State and on 80% seats of B.Ed. course in Private unaided colleges in the State. On 20% seats of B.Ed. course in Private unaided colleges in the State admission may be given to persons other tan bona-fide residents of Chhattisgarh. The definition of bona-fide resident of Chhattisgarh will be according to the instruction issued from time to time by the General Administration Department, Government of Chhattisgarh.

(c) Minimum age - No candidate will be given admission to B.Ed. course who, has not completed the age of 20 years on or before 31st December of the year of Pre-B.Ed. Examination.

4. **Qualifications for appearing in Pre-B.Ed. Examination** - The qualifications for appearing in Pre-B.Ed. Examination shall be as follows: -

(a) Must be a citizen of India,

(b) Must have passed a three years degree course from a recognized University. Candidates who have appeared in the final year examination of a three year degree course will be given provisional admission in the Pre-B.Ed. examination, but they will have to submit the proof of having passed the three years degree course at the time of counseling. In the event of not submitting such a proof they will not be given admission in the B.Ed. course in spite of their being in the merit list of Pre-B.Ed. Examination.

5. **Reservation of seats in B.Ed. course** - There will be both vertical and horizontal reservation in the seats available for B.Ed. course. There will be categories for vertical reservation and classes for horizontal reservation.

(a) Vertical reservation or Category - Vertical reservation will be as follows: -

(First) 15% for Scheduled Caste ,

(Second) 21 % for Scheduled Tribe,

(Third) 14% for Other Backward Classes (Excluding creamy layer)

Explanation - For getting the benefit of reservation in Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Other Backward Classes (Excluding Creamy Layer) categories, a Caste Certificate as per the instructions issued in this regard by Government of Chhatisgarh, General Administration Department will have to be submitted.

(b) Horizontal Reservation or Class - Horizontal means that this reservation will be equally distributed among the seats of all categories. Horizontal reservation will be as follows: -

(First) 6% for Disabled Class. For getting the benefit of reservation in this class, a Certificate of being disabled as per the instructions issued in this regard from time to time by Government of Chhattisgarh, General Administration will have to be submitted.

(Second) 3% for Freedom Fighter Class. For getting the benefit of reservation in this class, a Certificate of being a freedom fighter of son/daughter/grandson/grand daughter of freedom fighter as per the instructions issued in this regard from time to time by Government of Chhattisgarh, General Administration will have to be submitted.

(Third) 3% for Ex-Army Class, For getting the benefit of reservation in this class a Certificate of being Ex-Army Personnel, as per instructions issued in this regard from time to time by Government of Chhattisgarh, General Administration Department will have to be submitted.

(Fourth) 30% for Women Class.

6. **Pre-B.Ed. Examination** -

(a) A Pre-B.Ed. Examination will be organized every year for admission to B.Ed. course.

(b) State Government shall by an order appoint an agency to conduct Pre-B.Ed. Examination. The State Government can at any time change the agency by an order made for this purpose.

(c) There will be only one question paper in the Pre-B.Ed. Examination. The distribution of marks will be as follows: -

(First) General Mental Ability - 30 %

(Second) General Knowledge - 30%

(Third) General Hindi - 10%

(Fourth) General English - 10%

(d) Only objective type questions shall be asked.

(e) There shall be no negative marking.

(f) There shall be no revaluation and re-totaling of marks in Pre-B.Ed. Examination.

7. **Merit List** - Separate merit lists shall be prepared on the basis of marks obtained in the Pre-B.Ed. Examination for Scheduled Caste Category, Scheduled Tribe Category, Other Backward Classes (Excluding Creamy Layer) Category, and Unreserved Category. All Castes including Scheduled castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and General, shall be included in the merit list of Unreserved Category. Merit lists shall be prepared separately for Bona-fide residents of Chhattisgarh and other Candidates. The Class of the Candidate will also be written in the merit list. In the event of equality of marks, candidate with higher age will be kept higher in the merit list.

8. **Counseling** -

(a) Counseling will be done for giving admission in institutions after the publication of merit list.

(b) Counseling will be done by the Director. Representatives of all the institutions running B.Ed. courses in the State shall be present during counseling.

(c) Director will invite candidates in the merit list for counseling at their own cost.

(d) All candidates present for counseling will be seated in a waiting hall where their original certificates will be examined. Only candidates found qualified on the basis of the examination of original certificates shall be allowed to take part in the counseling.

(e) No person other than the candidate shall be allowed entry in the Waiting room/ examination room/ counseling room.

(f) The candidate shall be obliged to follow all the orders of the Director, failing which they can be declared ineligible for counseling.

(g) At the time of counseling candidates will be allowed entry in the counseling room in the order of merit.

(h) The candidate shall be informed about the available colleges and the type of available seats at the time of counseling. The Candidate shall have the right to choose only one seat in only one College. The Candidate will have to give his choice in writing in the prescribed format. Candidate will not be allowed to make any change in the choice, once the choice is made.

(i) Admission will be granted to the candidate immediately on the seat chosen by him, and his original certificated shall be deposited. The candidate will be given one week time to deposit fees in the concerned college. If fees is not deposited in time, the admission will be treated as automatically cancelled, and this seat will be made available to the next candidate in the merit list.

(j) Counseling will be done in the following sequence - First counseling will be done for Bona-fide Residents of Chhattisgarh. In this counseling, only candidates in the merit list of Bona-fide residents of Chhattisgarh will be included. After the counseling of the bona-fide Residents of Chhattisgarh is over, Counseling shall be done for other candidates. Candidates shall be called for counseling in the following sequence -

(First) Unreserved Category.

(Second) Scheduled Tribe Category
(Third) Scheduled Caste Category
(Fourth) Other Backward Classes (Excluding Creamy Layer) Category.

(k) Any Candidate of a reserved Category, whose name also figures in the Unreserved Category will have a right to either choose a seat available for unreserved category or a seat available for his reserved category. The choice once made shall be final and no change will be allowed in the choice under any circumstances.

(l) The decision of the Director shall be final in case of any dispute with regards to counseling.

9. **Admission in case enough candidates of reserved class are not available** - If enough candidates of reserved classes are not available these seats will be converted into unreserved class seats in the same category.

10. **Admission in case enough candidates of reserved category are not available** - If enough candidates are not available in any reserved category, admission will be given in the following manner: -

(a) If enough candidates are not available in Scheduled Caste Category, the seats reserved for this category shall be filled by candidates of Scheduled Tribe category.

(b) If enough candidates are not available in Scheduled Tribe Category, the seats reserved for this category shall be filled by candidates of Scheduled Caste category.

(c) If enough candidates are not available in both Scheduled Caste Category and Scheduled Tribe category, seats reserved for these categories shall be filled by candidates of Other Backward Classed (excluding creamy layer) Category.

(d) If enough candidates are not available in Other Backward Classes (excluding creamy layer) Category, the seats reserved for this category will first be filled by candidates of scheduled tribe category, and then if seats still remain vacant by candidates of scheduled caste category.

(e) Only when no candidate of any reserved category is available, seats of reserved category will be converted to unreserved category.

11. **Admission in case enough candidates who are bona-fide residents of Chhattisgarh are not available** - If enough candidates who are bona-fide residents of Chhattisgarh are not available for seats which should be filled by bona-fide residents of Chhattisgarh according to these rules, such seats may also be filled by other candidates.

12. **Cancellation of admission** - If it is found that a candidate has succeeded in getting admission on the basis of false or incorrect information or by hiding relevant facts, or if at any time after admission, it is found that the admission was given due to some mistake or oversight, the admission granted to such candidate shall be liable to be cancelled without any notice at any time during the course of his studies, by the head of the institution. In case of any dispute or doubts concerning admission etc. decision of the Government of Chhattisgarh shall be final.

13. **Fees of the College** - All colleges subject to the general directions of the State Government in this regard shall have the right to decide their own fees.

Provided that colleges shall decide their fees in such a manner that fees should not become a means of exorbitant profit. Colleges shall decide the fees in proportion to the expenditure on the expenditure on their infrastructure and manpower, and they shall submit an audited statement of this to the State Government, and get it published in at least two Newspapers of the State for information of the Public.

Provided further that, colleges are required to inform the State Government and the Agency for conducting Pre-B.Ed Examination, in writing about the fees sufficiently before the printing of the prospectus of the Pre-B.Ed. Examination, so that the information regarding fees can be printed in the prospectus.

Provided further that, fees can not be increased for a candidate after giving admission.

14. **Interpretation of Rules** - The State Government shall be the final authority for deciding all questions of policy regarding selection of candidates for admission. if any question arises relating to the interpretation of these rules, the decision of the State Government shall be final and binding.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक शुक्ला, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 111] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 अप्रैल 2010—चैत्र 11, शक 1932

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-5/2006/20-एक.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-04-2006 द्वारा छत्तीसगढ़ बी. एड. प्रवेश नियम 2006 बनाया गया है. उक्त नियम में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. नियम 2 के उपनियम (छ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाय—

(ज) "ऑनलाइन आवंटन" से अभिप्रेत है कि प्री.बी.एड. प्रावीण्य सूची के ऐसे उम्मीदवार जो बी. एड. पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अर्हताएं रखते हैं तथा उन्हें अनुमान है कि उन्हें बी. एड. पाठ्यक्रम हेतु महाविद्यालय आवंटित हो सकता है, विकल्प फार्म भरने हेतु निर्धारित केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते हैं. ऐसे उम्मीदवारों को प्री.बी.एड. परीक्षा प्रावीण्यता, महाविद्यालय में रिक्त सीटों तथा उनके द्वारा भरे गये महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय का आवंटन किया जाता है.

2. नियम 3 के उपनियम (क) को विलोपित कर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किये जायें--

(क) प्री.बी.एड. परीक्षा-सामान्यतया बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री.बी.एड. की प्रावीण्य सूची के आधार पर किए गए ऑनलाइन आवंटन के माध्यम से दिया जायेगा.

3. नियम 4 के उपनियम (ख) में काउंसलिंग शब्द के स्थान पर "ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने" स्थापित किया जाये.

4. नियम 8 एवं उसके समस्त उपनियमों को विलोपित कर निम्नलिखित नियम व उपनियम प्रतिस्थापित किया जावे--

8. **ऑनलाइन आवंटन**--

(क) प्रावीण्य सूची की घोषणा के पश्चात् संस्थाओं में प्रवेश ऑनलाइन आवंटन विधि से किया जावेगा.

(ख) ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय उम्मीदवार आवश्यक मूल प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों तथा 350/- रु. (अक्षरी-तीन सौ पचास रुपये मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के नाम से रायपुर में देय, के साथ निर्धारित केन्द्र में स्वयं के व्यय से उपस्थित होंगे. इन केन्द्रों में अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की प्रारंभिक जांच होगी.

(ग) ऑनलाइन फार्म भरने की सूचना एवं केन्द्रों की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट तथा राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे.

(घ) अभ्यर्थी केवल उन्हीं महाविद्यालयों का विकल्प चुने जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं.

(ङ) अभ्यर्थियों को महाविद्यालय का आवंटन उसके द्वारा दिये गये ऑनलाइन विकल्प (संस्था को दी गई प्राथमिकता) प्री.बी.एड. परीक्षा में उसका प्रावीण्यता क्रम तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर संचालक द्वारा किया जायेगा.

(च) सीट आवंटन की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट पर तथा जिस केन्द्र में अभ्यर्थी ने विकल्प फार्म भरा है उसी केन्द्र पर उपलब्ध होगी. सीट्स आवंटन की सूचना डाक द्वारा अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी.

(छ) ऑनलाइन आवंटन के पश्चात् निर्धारित समय अवधि में अभ्यर्थी या तो आवंटित संस्था में जाकर प्रवेश ले अथवा अपना आवंटन निर्धारित कालावधि समाप्त होने के पहले निरस्त कराकर नया विकल्प फार्म उसी केन्द्र में जहां पहले फार्म भरा था, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इसके लिए निर्धारित राशि पुनः जमा करनी होगी अन्यथा ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी का महाविद्यालय आवंटन निर्धारित समयावधि के पश्चात् स्वयमेव निरस्त हो जायेगा तथा उस अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा. पुनः विकल्प फार्म भरने वाले अभ्यर्थी को रिक्त सीटों के लिए महाविद्यालय आवंटन अगली सूची जारी करते समय किया जावेगा. पुनः विकल्प फार्म भरने का यह अवसर केवल एक बार के लिए होगा.

(ज) महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर प्रवेश दिया जायेगा. अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा. ऑनलाइन आवंटन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक का निर्णय अंतिम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नंदकुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 5-5/2006/20-एक.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01-04-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नंदकुमार, सचिव.

Raipur, the 1st April 2010

NOTIFICATION

No. F 5-5/2006/20-I.--- Chhattisgarh B.Ed. Pravesh Rule 2006 is made by even number departmental Notifi-

cation date 20-04-2006. State Government hereby makes the following amendment in the above rules, namely :—

AMENDMENT

1. After sub-rule (g) of rule-2 the following sub-rule be established :—

(h) Online Allotment means such candidates in the merit list of B.Ed. Entrance test who fulfill all qualifications to B. Ed. courses and who expect to get admission to the B. Ed. course in colleges may fill online option forms in the prescribed centres. Such candidates shall be allotted colleges on the basis of merit of pre B. Ed. examination, vacancy of seats in the colleges and the option filled by them.

2. Following sub rule is established by deleting Sub-rule (a) of rule 3.

(a) Pre B. Ed. Exam-Generally the admission to B. Ed. courses will be given on the basis of merit list of pre B. Ed. test through online allotment.

3. Filling online forms should be substituted in place of Counseling, in sub-rule (b) of rule 4.

4. The rule 8 and all its sub-rules are deleted and the following rules and sub-rules are established.

8. Online allotment

(a) After the declaration of the merit list the admission in the institutions shall be done through online allotment procedure.

(b) At the time of filling online option form the candidates shall be present at their own cost with original documents along with a crossed postal order or Bank Draft for Rs. 350.00 (Rs. Three Hundred Fifty only) Payable in the name of Director, State Council of Educational Research and Training, Raipur at the prescribed centre, Initial scrutiny of the documents will be done at the centres.

(c) The information regarding online filling of forms and the list of centres, will be published in two leading newspapers of the state and on the website of SCERT, Chhattisgarh.

(d) Applicants should opt for only those colleges where they seek admission.

(e) The allotment of colleges to the candidates will be done by the Director on the basis of online option, (preference given to the colleges), merit number in the Pre. BEd. Test and the availability of seats.

(f) The list of seat allotment will be available on SCERT website and at the centres where the candidate has filled option forms. No postal communication will be sent to candidates regarding the allotment of seats.

(g) After the online allotment the candidate is expected to take admission in the allotted colleges or get the allotment cancelled before the time limit, of admission and submit a new option form at the same centre where he had filled the form earlier. The candidate shall deposit the prescribed amount for the second time, failing which his college allotment will be authomatically cancelled and such candidate will not be considered for further proceedings. Seats will be allotted to such candidates in the subsequent (next) list. Candidates will be given only one extra opportunity for refilling option forms.

(h) The college will give admission after the scrutiny of original documents. If there is any discrepancy in the original documents, admission will be cancelled. In case of any dispute regarding online allotment the decision of the Director shall be final and binding.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NAND KUMAR, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

पोस्ट के अन्तर्गत डाक
नगद भुगतान (बिना डाक
के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भि., दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 220] रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 अगस्त 2010—श्रावण 18, शक 1932

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-5/2006/20-एक.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-04-2006 द्वारा छत्तीसगढ़ बी. एड. प्रवेश नियम 2006 बनाया गया है, उक्त नियम में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. नियम 4 के उपनियम (ख) को विलोपित कर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किये जायें—

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा समतुल्य किसी अन्य अर्हता में कम से कम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अंक प्राप्त हो. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत अंकों में छूट की व्यवस्था होगी. ऐसे अभ्यर्थियों को जो त्रिवर्षीय स्नातक या स्नातकोत्तर (स्नातक प्राप्तांक निर्धारित अंक से कम होने पर) के अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठे हैं, प्री.बी.एड. परीक्षा में प्रोवीजनल प्रवेश दिया जायेगा. परंतु उन्हें ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने के समय स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा. ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय ऐसा प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्री.बी.एड. परीक्षा की प्रावीण्य सूची में होने पर भी उन्हें बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 5-5/2006/20-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09-08-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव.

Raipur, the 9th August 2010

NOTIFICATION

No. F-5-5/2006/20-I.—Chhattisgarh B.Ed. Pravesh rule 2006 is made by even department notification date 20-04-2006 State Government hereby makes following amendment in the above rules, namely :—

AMENDMENT

1. Following sub-rule is established by deleting sub-rule (b) of rule 4.

(b) Must have passed with minimum marks prescribed by Notional Council for Teacher Education in the Bachelor's degree and/or in the master's degree or any other qualification equivalent thereto, there shall be relaxation of 5 percent marks for candidate belonging to Scheduled Caste/Scheuduled Tribe/ Other Backward Classes and categories. Candidate appearing in the final year examination of three year graduate degree course or post graduation (aggregate marks are less than required in the graduation course), will be given provisional admission, but while filling the on-line forms if the candidate fails to produce the required testimonials and if he/she is in the merit list of Pre-B.Ed. Examination, he/she will not be given admission.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. P. MANDAL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 88] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2007—चैत्र 9, शक 1929

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18-44/20/2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ बी. एड. प्रवेश नियम 2006 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में—

1. नियम 2 के उप नियम (च) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाय :—

"(छ) 'गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय' से अभिप्रेत है कि ऐसे महाविद्यालय जो छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रमाणित हो तथा महाविद्यालय के न्यूनतम 50 प्रतिशत सीट धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित करते हों."

2. नियम 3 के उप नियम (क) के मुख्य शीर्ष प्री बी. एड. परीक्षा के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष स्थापित किये जायें :—

"प्री बी. एड. परीक्षा सामान्यतया"

3. नियम 5 के उप नियम (ग) के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाये :—

"उपरोक्त आरक्षण नियम "गैर अनुदान अल्पसंख्यक महाविद्यालयों" एवं "गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों" में लागू नहीं होंगे."

Raipur, the 29th March 2007

NOTIFICATION

No. F 18-44/20/2007.—State Government hereby makes the following amendment in Chhattisgarh B. Ed. Pravesh Rule, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules-

1. After sub-rule (f) of Rule-2, the following sub-rule shall be inserted :-

"(g) 'Unaided minority college' means a college which is certified by the Chhattisgarh State Minority Commission and reserves minimum 50 percent seats for religious minority community."

2. For Head "Pre B. Ed. Examination" of sub-rule (a) of rule-3 the following Head shall be substituted :-

"Pre B. Ed. Examination Generally"

3. For sub-rule (c) of rule-5, the following sub-rule shall be substituted:-

"Above said reservation rules shall not be applicable in "unaided minority college" and "unaided private college."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209] रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 मई 2023 —— वैशाख 20, शक 1945

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6–2/2008/20–एक.— विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31–01–2008 द्वारा छत्तीसगढ़ डी.एड प्रवेश नियम 2007 बनाएं गये हैं, इस नियमों में राज्य शासन द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2010 को संशोधन किये गए हैं। इस संशोधित नियम के उपनियम 5 (क) में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :–

संशोधन

1. नियम 5 के उपनियम (क) को विलोपित कर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित करता है–

   (क) डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण प्रवेश के समय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विधिवत निर्धारित आरक्षण के अनुसार होगा।

2. नियम 5 के उपनियम (घ) को विलोपित कर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित करता है–

   (घ) उपरोक्त आरक्षण नियम गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओ/महाविद्यालयों में लागू नही होगें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 10th May 2023

NOTIFICATION

No. F 6-2/2008/20-1.— Chhattisgarh D. Ed. Parvesh Rules 2007 is made by even department notification date 31-01-2008. In these rules, amendments have been made by the State Govt on 01 April 2010. The amended sub- rule 5 (a) of this rule is here by amended by the state government, namely : -

AMENDMENT

1. Following sub- rule is substituted by deleting sub-rule 5(a).

(a) Reservation of seats in D. El. Ed. course will be according to the duly prescribed reservation in admission to educational institutions by the Government of Chhattisgarh at the time of admission.

2. Following sub- rule is substituted by deleting sub-rule 5(d).

(d) The above reservation rules will not be applicable in non- aided minority institutions/ colleges.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TIRATH PRASAD LADIYA, Deputy Secretary.

अटल नगर, दिनांक 10 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5—5/2006/20—एक.— विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 अप्रैल 2006 द्वारा छत्तीसगढ़ बी.एड. प्रवेश नियम 2006 बनाएं गये हैं, उक्त नियम में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. नियम 5 (क) को विलोपित कर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित करता है—

(क) बी.एड. पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण प्रवेश के समय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विधिवत निर्धारित आरक्षण के अनुसार होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, उप—सचिव.

Atal Nagar, the 10th May 2023

NOTIFICATION

No. F 5-5/2006/20-1.— Chhattisgarh B. Ed. Parvesh Rule 2006 is made by even department notification date 20-04-2006. State Government here by makes following amendment in the above rules, namely: -

AMENDMENT

Following sub- rule is substituted by deleting sub-rule 5(a).

(a) - Reservation of seats in B.Ed.course will be according to the duly prescribed reservation in admission to educational institutions by the Government of Chhattisgarh at the time of admission.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TIRATH PRASAD LADIYA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.